नौएडा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रशासनिक भवन, सैक्टर–6, नौएडा–201301, उ0प्र0

वेबसाइटः www.noidaauthorityonline.in

प्रेस विज्ञप्ति

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा आवासीय भवन विभाग के **वर्ष 2016–17** तक ड्रा के माध्यम से आवंटित बिल्टअप भवनों हेतु **एक–मुश्त समाधान पॉलिसी योजना** (**One Time Settlement Policy**) को लागू किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये। प्राधिकरण द्वारा **ओ.टी.एस. योजना** लाये जाने का मूल उद्देश्य वैश्विक महामारी कोविड 19 के दुष्प्रभावों के कारण भवन विभाग के आवंटियों को देय किश्तें जमा नहीं करने के कारण भारित चक्रवृद्धि ब्याज में छूट प्रदान करते हुए देय धनराशि का भुगतान करने हेतु एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करना है।

प्राधिकरण की **205वीं बोर्ड बैठक** दिनांक **11.08.2022** में लिये गये निर्णय के क्रम में **एक–मुश्त समाधान पॉलिसी योजना** (**One Time Settlement Policy**) दिनांक **01.09.2022** से दिनांक **30.11.2022** तक ऑनलाईन माध्यम से लागू की गई है। ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु ओ.टी.एस. योजना का प्राधिकरण की वेबसाइट **www.noidaauthorityonline.in के होमपेज पर उपलब्ध ओ.टी.एस. संबंधी लिंक के माध्यम से संबंधित आवंटियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा।** आवेदकों की पूर्ण देयता, 5 प्रतिशत के मद में देयता तथा ओ.टी.एस. के अन्तर्गत देयता का सम्पूर्ण विवरण उक्त लिंक पर उपलब्ध कराया जायेगा।

ओ.टी.एस. के अंतर्गत देय डिफाल्ट धनराशि पर पैनल ब्याज को माफ कर गणना की जायेगी तथा इस अवधि में लीज डीड न कराने पर लीज डीड विलम्ब शुल्क एवं लीज डीड निष्पादन के उपरान्त भवन का कब्जा प्राप्त न कर पाने के **विलम्ब शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट (पूर्ण छूट)** प्रदान की जायेगी। आवंटी को प्रत्यावेदन के साथ निर्धारित प्रक्रिया शुल्क एवं वर्तमान तक आवंटन के सापेक्ष अतिदेयता के कुल योग का 5 प्रतिशत प्रारम्भिक धनराशि को ऑनलाईन जमा कराना होगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त किसी भी स्थिति में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक पूरी प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाईन माध्यम से संपादित कर सकते हैं साथ ही आवेदकों की सहायता हेतु ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया सुविधाजनक बनाने के लिये इन्दिरा गांधी कला केन्द्र, सेक्टर–6, नोएडा में हेल्प–डैस्क एवं कॉल सेन्टर की व्यवस्था भी की जायेगी। ओ.टी.एस. योजना की नियम एवं शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट **www.noidaauthorityonline.in** पर उपलब्ध है। ओ.टी.एस. योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु आवंटी प्राधिकरण के हेल्पलाइन नं. **0120–2422379** एवं मोबाईल नं./व्हॉटसऐप नं. **9560998908** पर सम्पर्क कर सकते हैं। अथवा प्राधिकरण के ई–मेल **housing@noidaauthorityonline.com** पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सहायक महाप्रबंधक–भवन

स्वच्छ, हरित, सकुशल, सुरक्षित नौएडा

Nav Bharat Times _ 01.09.2022 _ 8w x 18h = 144 sqcm

Dainik Jagran _ 16.09.2022 _ 8w x 18h = 144 sqcm

Amar Ujala _ 01.10.2022 _ 8w x 18h = 144 sqcm

Times of India_ 16.10.2022 _ 8w x 18h = 144 sqcm